



कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार



प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना

प्रश्न: गैर ऋणी किसान द्वारा फसल बीमा लेने के लिए कौन-से दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य हैं?

उत्तर: गैर ऋणी किसानों को, भूमि स्वामित्व दस्तावेज - अधिकार का रिकॉर्ड (आरओआर) और भूमि कब्जा प्रमाण पत्र (एलपीसी), आधार कार्ड (नवीनतम), बैंक पासबुक (प्रथम पृष्ठ - बैंक खातों के विवरण के साथ) और फसल बुआई प्रमाण पत्र (यदि राज्य सरकार की अधिसूचना में अनिवार्य किया गया हो) आदि दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करवाने होते हैं। बटाईदार किसान या किराए पर ली गयी भूमि की स्थिति में, भूमि के मालिक के साथ अनुबंध समझौता, किराया/पट्टा विलेख इत्यादि दस्तावेज अनिवार्य हैं।



प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा इकाई क्या हैं?

उत्तर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर बीमा इकाई का चयन किया जाता है। राज्य सरकारें, प्रमुख फसलों के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत या किसी अन्य समकक्ष इकाई (जैसे राजस्व मंडल/पटवार हलका आदि) को और लघु फसलों के लिए जिला/तालुका या इनके समकक्ष इकाई को बीमा इकाई के रूप में सूचित कर सकती हैं।

प्रश्न: स्थानीय आपदाओं से फसल में नुकसान होने पर सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: प्रभावित बीमित किसान को आपदा के ७२ घण्टे के अन्दर सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर या क्रॉप इन्श्योरन्स ऐप पर अथवा लिखित में अपने बैंक/कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करवाना आवश्यक है। जिसमें किसान का नाम, मोबाईल नम्बर, अधिसूचित पटवार सर्किल, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, आपदा का प्रकार, प्रभावित फसल आदि की सूचना अंकित होनी चाहिए।



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

अधिक जानकारी के लिए : किसान कॉल सेंटर (1800-180-1551), सीएससी, बैंक या इश्योरेंस एजेंट से संपर्क करें और अधिसूचित फसलों, बीमित राशि और अपने गांव में योजना के लिए नामांकन की अंतिम तिथि के बारे में जानकारी पाएं।

Facebook: @PMFasalBimaYojana Twitter: @pmfby Website: www.pmfby.gov.in App: Crop Insurance (Farmer's app) Google Play

बीमा भागीदार:



BAJAJ Allianz

ibharo



HDFC ERGO

INDUS TOWER

RELIANCE

SBI general

Universal Sompo

जावेंगे आप तो मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) हेतु किसानों के सहायतार्थ प्रश्नोत्तरी



फसल बीमा
सप्ताह 1-7 जुलाई, 2021
पीएमएफबीवाई





भारत आज़ादी की ७५ वर्ष पूरे कर रहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाने का हम संकल्प करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों के फसलों को मिल रही विभिन्न आपदाओं से सुरक्षा एवं किसानों को आर्थिक आज़ादी। आप भी इस योजना से जुड़े और पाएँ अपने फसलों को बीमा रूपी सुरक्षा कवच।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु किसानों के सहायतार्थ प्रश्नोत्तरी:

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

उत्तर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसलों से जुड़े हुए जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का माध्यम है। इससे किसानों को अप्रत्याशित या प्रतिकूल मौसम की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है।



प्रश्न: फसल बीमा कौन करवा सकता है?

उत्तर: ऋणी एवं गैर ऋणी (बटाईदार/साझेदार) किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित की गई फसलों के बीमा का लाभ उठा सकते हैं। ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। पंजीकरण की अंतिम तिथि सामान्यतः ३१ जुलाई है। अपने क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों एवम उसके अंतिम तिथि के लिए सीएससी केंद्र, पीएमएफबीवाई पोर्टल, इंश्योरेंस कंपनी या कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

ऋणी किसान आवेदन की अंतिम तिथि से ७ दिन पहले तक सम्बंधित बैंक शाखा में ऑफ्ट-आउट फॉर्म या स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करके योजना से बाहर हो सकते हैं।

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए बीमित राशि क्या होगी?

उत्तर: बीमित राशि का निर्धारण जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा फसल के वित्त मान (Scale of Finance) के आधार पर या गत वर्षों में आई सम्बंधित फसल की औसत उपज एवं फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किया जाता है।



प्रश्न: फसल बीमा के लिए किसान द्वारा देय प्रीमियम दर क्या हैं?

उत्तर: खरीफ मौसम के लिए २ प्रतिशत, रबी मौसम हेतु १.५ प्रतिशत, व्यावसायिक और बागवानी फसलों हेतु बीमित राशि का अधिकतम ५ प्रतिशत।

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन-कौन से जोखिम शामिल हैं?

उत्तर: १. फसलों की बुवाई/बुवाई न कर पाने/असफल अंकुरण जोखिम: बीमित क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम/मौसमी दशाओं के कारण बुवाई/पौध रोपण/अंकुरण न होने से हुई हानि से सुरक्षा प्रदान करना।

२. खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक): सूखा, शुष्क स्थिति, बाढ़, जलप्लावन, व्यापक रूप से कीटों व रोगों के प्रभाव, भूस्खलन, प्राकृतिक कारणों से आग, आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि तथा चक्रवात जैसे रोके न जा सकने वाले जोखिमों के कारण उपज नुकसान को आच्छादन करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा आवरण प्रदान किया जाता है।

३. फसल कटाई के उपरान्त नुकसान: यह प्रावधान ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा और बेमौसम वर्षा होने की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर खेत में काटकर व फैलाकर/छोटे गड्ढों में बांधकर सुखाने हेतु रखी गई फसलों को फसल कटाई के पश्चात् केवल १४ दिनों की अधिकतम अवधि में हानि होने की स्थिति में संरक्षण प्रदान करता है।

४. स्थानीय आपदाएं: योजना के तहत स्थानीयकृत जोखिमों/आपदाओं यथा ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटने तथा अधिसूचित इकाई अथवा किसी खेत के हिस्से पर बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक आग लगने से फसल को होने वाले नुकसान को व्यक्तिगत किसानों के खेत के स्तर पर बीमा सुरक्षा प्रदान की गयी है।



प्रश्न: इस योजना के तहत गैर-ऋणी किसान बीमा कैसे ले सकते हैं?

उत्तर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्राप्त करने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान निकटम बैंक शाखा/सहकारी समिति/अधिकृत चैनल पार्टनर/जन सेवा केंद्र (सीएससी)/बीमा कम्पनी या उनके अधिकृत एजेंट से सम्पर्क कर सकते हैं या निर्धारित तिथि के अंतर्गत स्वयं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं।

प्रश्न: क्या ऋणी किसान बीमित फसल में परिवर्तन करा सकते हैं एवं कब तक?

उत्तर: हाँ, ऋणी किसान बीमित फसल में परिवर्तन करवा सकते हैं, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नामांकन की अंतिम तिथि से दो दिन (कार्य दिवस) पहले तक किसान अपने फसल में परिवर्तन की सूचना सम्बंधित बैंक शाखा में दे सकते हैं।